जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, चतरा ।

''अल्प-कालीन सूचना''

सरकार के सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड सरकार, रांची के पत्रांक 652 दिनांक 15.02.2018 के आलोक में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के कार्यान्वयन में पारदर्शिता लाने के लिए प्राथमिकता सूची को समुदायिक भवन/पंचायत भवन/अन्य सार्वजनिक स्थानों में योजना लाभुकों की जानकारी सर्वसाधारण को सर्वसुलभ हेतु पंचायतवार दीवार-लेखन कराया जाना है ।

अतः इच्छुक दीवार-लेखन में दक्ष संस्थान/स्वयं सेवी संगठन से दिनांक 07/03/18 को 2.00 बजे अपराह्न तक मुहरबंद लिफाफा में दर की मांग की जाती है । निर्धारित तिथि व समय के उपरांत प्राप्त दर पर विचार नहीं किया जाएगा । शर्ते निम्नवत होंगे :-

1. संस्थान/स्वयं सेवी संगठन को GST में निबंधित होना अनिवार्य है ।
2. संस्थान/स्वयं सेवी संगठन काली सूची में दर्ज न हो, का शपथ पत्र देना होगा ।
3. दीवार-लेखन प्रति Sqft का दर स्पष्ट, बिना कटिंग के अंकित होना चाहिए ।
4. दीवार-लेखन का कार्य पंचायतवार निर्दिष्ट स्थलों पर करना होगा ।
5. जिला स्तर से लिखावट/रंग का निर्धारण मान्य होगा ।
6. दीवार-लेखन का कार्य निर्धारित समय के अन्दर पूर्ण करना अनिवार्य होगा ।
7. अभिकरण एवं अन्य कार्यालय से पूर्व में यदि कार्य सम्पन्न किया गया हो तो आदेश की प्रति संलग्न करना होगा ।
8. दीवार-लेखन कार्य हेतु अलग से अग्रिम अथवा अन्य भत्ते देय नहीं होंगे ।

9. न्यूनतम स्वीकृत दर पर एक या एक से अधिक दरदाता के बीच आवश्यकतानुरूप कार्य वितरण का अधिकार अद्योहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा ।

10. निविदा को बिना कारण बताये रद्द करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरी को होगा एवं निविदा समिति का निर्णय अंतिम होगा तथा किसी भी मंच पर इसे चुनौती नहीं दी जा सकेगी ।

उप विकास आयुक्त
चतरा ।

ज्ञापांक...206.../जि0ग्रा0 दिनांक 26/02/18

प्रतिलिपि :-जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, चतरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित । निदेशित है कि उक्त सूचना को सभी मुख्य समाचार पत्रों में प्रकाशन कराना सुनिश्चित करें ।

प्रतिलिपि :-जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, एन0आई0सी0, चतरा को सूचनार्थ एवं जिले के बेवसाईट www.chatra.nic.in पर प्रकाशन हेतु प्रेषित ।

उप विकास आयुक्त
चतरा ।